न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।

उपस्थितः– धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच०जे०एस०)

JO. Code UP 2002

दाण्डिक निगरानी सं०–329/2025

C.N.R.No-UPGH010051972025

1– अनिल कुमार पुत्र स्व० रामसिंगार सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट सुरहुरपुर हरिचरन, थाना शादियाबाद, जनपद गाजीपुर।

..... **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1– उ०प्र० राज्य।

2– दशरथ यादव पुत्र स्व० बाबूनन्दन यादव, निवासी ग्राम फरीदपुर हुलासराय, पोस्ट सुरहुरपुर हरिचरन, थाना शादियाबाद, जनपद गाजीपुर।

..... **विपक्षीगण।**

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, अंतर्गत धारा–438 बी०एन०एस०एस०, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–8, गाजीपुर द्वारा फौजदारी वाद संख्या–85304/2023, अनिल सिंह बनाम दशरथ, अन्तर्गत धारा–138 एन०आई०एक्ट में पारित आदेश दिनांक 04.01.2025 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता/परिवादी का उपरोक्त वाद परिवादी की अनुपस्थिति में खारिज किया गया है। के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

2– प्रस्तुत मामले के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/परिवदी द्वारा सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, गाजीपुर के न्यायालय में एक फौजदारी मुकदमा सं०–85304/2023, अनिल कुमार बनाम दशरथ, अन्तर्गत धारा–138 एन०आई०एक्ट, थाना शादियाबाद, जिला गाजीपुर दाखिल किया गया, जो बाद में अन्तरण द्वारा न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–08, गाजीपुर में आ गयी, परन्तु निगरानीकर्ता/परिवादी विचारण न्यायालय में उक्त वाद की कार्यवाही में कोई सहयोग नहीं करता था और न ही न्यायालय में उपस्थित आ रहा था, जिस कारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2025 को यह आदेश पारित किया गया कि पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित। परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत पत्रावली में परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। परिवादी की निरन्तर अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी प्रस्तुत परिवाद की कार्यवाही में भाग लेने का इच्छुक नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रकरण को अनन्त काल तक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत परिवादी

परिवादी की अनुपस्थिति के कारण अन्तर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उक्त आदेश दिनांक 04.01.2025 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी दाखिया किया गया है।

3– निगरानीकर्ता ने अपने निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि उपरोक्त मुकदमा में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.01.2025 विधि विरुद्ध, अशुद्ध एवं औचित्यहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 04.01.2025 पारित करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का सही उपयोग नहीं किया गया है, इसलिये गलत निष्कर्ष पर पहुँचे और आलोच्य आदेश पारित किया है। आलोच्य आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन नहीं किया गया है। इसलिये गलत निष्कर्ष निकालते हुए विधि विरूद्ध, अशुद्ध एवं औचित्यहीन आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त पत्रावली पहले न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, गाजीपुर के न्यायालय में विचाराधीन थी और बाद में पत्रावली अन्तरित होकर न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं० 8, जनपद गाजीपुर के न्यायालय में चली गयी, जिसकी कोई जानकारी निगरानीकर्ता अथवा निगरानीकर्ता के अधिवक्ता महोदय को नहीं हो पायी और न तो इसकी कोई सूचना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गयी, जिसके कारण निगरानीकर्ता और निगरानीकर्ता के अधिवक्ता पत्रावली की खोजबीन करते रहे, किन्तु कोई जानकारी नहीं हो सकी। करीब तीन महीने बाद निगरानीकर्ता को पत्रावली की जानकारी हुई, तब पत्रावली का अवलोकन करने से पता चला कि पत्रावली दिनांक 04.01.2025 को निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति दर्शाते हुए धारा 203 द०प्र०सं० में निरस्त कर दी गयी है। तब निगरानीकर्ता द्वारा उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया और सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने के पश्चात यह निगरानी श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त वर्णित आधारों एवं अन्य आधारों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 04.01.2025 निरस्त होने योग्य है।

4– विपक्षीगण की ओर से निगरानी के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

5– निगरानीकर्ता की ओर से प्रश्नगत आदेश की प्रमाणित प्रति कागज सं०–5ब/2 प्रस्तुत किया गया है।

6– मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

7– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मेमों ऑफ निगरानी में उल्लिखित तर्कों के साथ–साथ मुख्य रूप से तर्क दिया गया कि पूर्व में उसका वाद फौजदारी वाद सं०–85304/2023, अनिल कुमार सिंह बनाम दशरथ यादव, सिविल जज (सी०डि०), गाजीपुर के न्यायालय में चल रहा था। जहाँ पर वह उपस्थित होता रहा। उसके पश्चात उक्त वाद का अन्तरण अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–8, गाजीपुर के न्यायालय में कर दिया गया। जिसकी सूचना उसे

नहीं थी, इस कारण वह उक्त वाद में उपस्थित नहीं हो पाया और उसकी अनुपस्थिति के कारण उसका वाद खारिज कर दिया गया, जो विधि के अनुकूल नहीं है। अन्ततः प्रार्थना की गयी की निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल निगरानी स्वीकार किया जाये और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.01.2025 को अपास्त किया जाये।

8– जबकि विपक्षीगण की ओर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के अनुकूल है। निगरानीकर्ता जानबूझकर विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था, जिस कारण निगरानीकर्ता का वाद विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जो विधि के अनुकूल है और प्रार्थना की गयी कि निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल दाण्डिक निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

9– इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा मूल पत्रावली फौजदारी वाद सं०–85304/2023, अनिल कुमार सिंह बनाम दशरथ यादव, का अवलोकन किया गया। उक्त मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त मुकदमा दिनांक 13.12.2023 को सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, गाजीपुर के न्यायालय में दाखिल किया गया था। जहाँ पर वह दिनांक 27.09.2024 तक लम्बित था। उसके पश्चता उक्त पत्रावली अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–8, गाजीपुर के न्यायालय में अन्तरित कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त अन्तरण की कोई सूचना निगरानीकर्ता/परिवादी को नहीं दी गयी।

10– सामान्य नियमावली सिविल के नियम 89 क में यह व्यवस्था दी गयी है कि "यदि कोई वाद अपील या अन्य कार्यवाही किसी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अन्तरित की जाती है, तो उसकी सूचना पक्षकारों या पक्षकारों के अधिवक्ताओं को दी जायेगी।"

प्रस्तुत मामले के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि फौजदारी वाद सं०–85304/2023, अनिल कुमार सिंह बनाम दशरथ यादव आदि को सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, गाजीपुर के न्यायालय से अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–8, गाजीपुर के न्यायालय में अन्तरित करने की सूचना निगरानीकर्ता/परिवादी को नहीं दी गयी, जिस कारण वह अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–8, गाजीपुर के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया और अन्ततः उसकी अनुपस्थिति के कारण ही उसका वाद खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता के साथ प्राकृतिक न्याय का भी उल्लंघन हुआ है, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से सुना नहीं गया है। विधि की यह पूर्ण मंशा है कि किसी भी वाद को तकनीकी आधार पर खारिज न किया जाये, जहाँ तक सम्भव हो सके मामले का निपटारा पक्षकारों को सुनकर गुण–दोष के आधार पर ही किया जाये।

11– प्रस्तुत मामले में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता जानकारी के अभाव में अपने फौजदारी वाद सं०–85304/2023, अनिल कुमार सिंह

बनाम दशरथ यादव, में उपस्थित नहीं हो पाया, जिसके कारण उसका वाद खारिज हो गया। अतएव निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 04.01.2025 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि निगरानीकर्ता के उपस्थित होने पर उभयपक्ष को सुनकर मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाये।

इस निर्णय की एक प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की तलबशुदा मूल पत्रावली, विद्वान विचारण न्यायालय के कार्यालय अविलम्ब प्रेषित करें। उभय पक्ष विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.06.2026 को उपस्थित हों।

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।
J.O Code UP-2002

दिनांकः–04.06.2026

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।
J.O Code UP-2002

दिनांकः–04.06.2026

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.05 09:21:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court